International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

प्रधानमंत्री जन धन योजना: निष्क्रिय खातों का समालोचनात्मक मूल्यांकन

निहाल नायक[1], डॉ. एच. के. खरे[2]

[1]शोधार्थी, म.छ.बु.वि. छतरपुर

[2]पूर्व विभागाध्यक्ष वाणिज्य संकाय, शा. स्नातकोत्तर महा. वि. निवाड़ी

सारांश

भारत में सरकार द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सुविधाओं एवं अन्य बैंकिंग सुविधाओं से बंचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को वित्तीय सुविधा आसानी से मुहैया कराने के लिये शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारम्भ की गई। इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा, डेविट कार्ड, ओवरड्राफ्ट, डीबीटी, शून्य शेष पर खाते की उपलब्धता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिंग आदि विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रदान की गईं। इस योजना के माध्यम से दिसम्बर 2024 तक लगभग 54.03 करोड़ खाते खोले गये थे। किंतु केन्द्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार पीएमजेडीवाई के निष्क्रिय खातों की संख्या नवम्बर 2024 में खोले गये कुल खातों की संख्या का 20.91 प्रतिशत थी। वित्तीय समावेशन की दिशा में किये गये प्रयासों के माध्यम से दी गई विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधाओं के बावजूद भी इतनी अधिक संख्या में लाभार्थियों के खाते निष्क्रिय हैं, यह एक चिंता एवं शोध का विषय है। इस शोध पत्र को प्रस्तुत करने का उद्देश्य इस समस्या के कारणों को जानने और उसके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है, जिससे इस महत्वाकांक्षी योजना को वास्तविक रूप में धरातलीय स्तर पर लागू किया जा सके एवं अधिक से अधिक खाते सक्रिय रूप से संचालित किये जा सकें।

कुंजी शब्द: PMJDY, DBT, BSBDA, LDM

प्रस्तावना:

स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार द्वारा देश के कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच बनाने के लिये और उचित ब्याज दर पर सुविधायें प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम बैंकों के राष्ट्रीकरण को अपनाया गया जिसके माध्यम से वर्ष 2011 तक 35 प्रतिशत वयस्कों के खाते ही खोले जा सके। जो प्रायः शहरी खाता धारक थे। ग्रामीण अंचल का एक बड़ा वर्ग बैंकिंग सुविधाओं से अछूता रहा। देशी बैंकर या साहूकारों का वर्चस्व ऋण

प्रदान करने के लिए सक्रिय रहा जो शोषण का मूल कारन था। तत्पश्चात् अगस्त 2014 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारम्भ की गई। जिसने विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को एक साथ जोड़कर लाभार्थियों को लाभान्वित करने का अधिक से अधिक प्रयास किया। इन सुविधाओं में शामिल हैं -

1. **डी.बी.टी. (प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण)** - इसके माध्यम से लाभार्थी को बिना तीसरे पक्ष की सहायता के सीधा लाभ प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना है।
2. **शून्य शेष पर खाते की उपलब्धता** - पीएमजेडीवाई के पहले खोले जाने वाले खातों की परिचालन लागत अधिक थी और उनमें निश्चित राशी को नियमित रूप से रखना आवश्यक था जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की अक्षमता के कारण संभव नहीं था किंतु PMJDY के माध्यम से खातों में कोई न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नहीं है।
3. **डेविट कार्ड सुविधा** - इस योजना के माध्यम से रूपे डेविट कार्ड की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पर लगने वाले चार्ज लेन-देन की सीमा से अधिक उपयोग करने पर लगाये जाते हैं।
4. **बीमा सुविधा**- योजना के तहत जो 30,000 रूपये का जीवन बीमा लाभार्थी की म्रत्यु पर सामान्य शर्तों पर प्रदान किया जाता था।[2] उसके बारे में राज्य सभा के आतारांकित प्रश्न क्रमांक-1361 में बताया गया कि वःह बीमा मात्र 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के मध्य पहली बार खोले गए खातों पर उपलब्ध कराया गया था तथा इसके बाद नये खाता धारकों के लिए बीमा की राशि को एक लाख रूपये कर दिया गया। किन्तु 28 अगस्त 2018 से नये खाता धारकों को इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा के रूप में जो पहले एक लाख रूपये दिए जाते थे उसे बढ़ाकर अब दो लाख रूपये प्रदान किये जायेंगे। किंतु इस सुविधा हेतु रूपे डेविट कार्ड से 90 दिन में कम से कम एक लेन-देन होना आवश्यक है।[3]
5. **ओवरड्राफ्ट सुविधा** - इस योजना में पहले 5,000 रुपये प्रदान करने की सुविधा थी किंतु बाद में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया।
6. **जमा राशि पर ब्याज** - अन्य बचत खातों की तरह इस खाते में भी ब्याज की सुविधा प्रदान की गई है।
7. **बैंक मित्रों की नियुक्ति:-** लाभार्थी और बैंक के मध्य की दूरी को कम करने हेतु छोटे क्षेत्रों में ठब् के माध्यम से बैंकिंग सुविधायें प्रदान कर अधिकतम खाता धारकों को लाभ प्रदान करने का प्रयास किया है।
8. **धन के अंतरण की सुविधा** - भारत में PMJDY खाता धारकों को डिजिटल सुविधाओं जैसे किओस्क बैंक, UPI, Net Banking आदि के माध्यम से कभी भी कहीं भी अपने पैसे अंतरित करने की सुविधा है।
9. **पेंशन सुविधा** - खाता धारकों को अटल पेंशन योजना के माध्यम से लाभान्वित करने एवं मुद्रा योजना जैसी अन्य योजनाओं को इस योजना से जोड़ा गया।

10. **अन्य योजनाओं से जुड़ाव:**- PMJDY से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना आदि विभिन्न प्रकार की योजनाओं को एक साथ जोड़कर लाभ प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

साहित्य समीक्षा:-

1. **त्रिपाठी, यादव एवं शास्त्री (2016)**: इस लेख के अध्ययन से पता चलता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के बड़ी संख्या में खाते खोले गये, परन्तु इन खातों में से अधिकांश खातों की शेष राशि शून्य रही या वे खाते निष्क्रिय रहे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि खाता खोलने की तुलना में उनका उपयोग कम रहा।
2. **सिंह, अजय पाल (2019):** PMJDY पर इनके लेख में बैंकिंग सेवाओं का सीमित उपयोग और वित्तीय साक्षरता की कमी को खातों की निष्क्रियता का मुख्य कारण बताया गया है। जिससे नियमित रूप से खाता धारक लेन देन नहीं करते हैं।[5]
3. **वेणुमुद्दला (2020):** इनके अध्ययन में बताया गया कि जो लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। उन लाभार्थियों द्वारा बैंक खातों का उपयोग कम किया जाता है। इस कारण भी कुछ खातों में निष्क्रियता बनी हुई है।6
4. **बगार एवं सिजेरिया (2020):** इनके शोध से निष्कर्ष निकला कि अधिकतर खाता धारकों ने केवल सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिये खातों का उपयोग किया है एवं लाभ प्राप्त करने के बाद खातों से कोई लेन-देन नहीं किया जाता है और खाते निष्क्रिय रह जाते हैं।7

उद्देश्य:- शोध पत्र के तीन उद्देश्यों को निम्न प्रकार दर्शाया गया है-

1. PMJDY के अंतर्गत खोले गये एवं निष्क्रिय खातों का अद्यतन अध्ययन करना।
2. निष्क्रिय खातों के कारणों को ज्ञात करना।
3. निष्क्रिय खातों की संख्या न्यूनतम करने के सरकारी उपाय एवं वांछित उपायों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि:- निवाड़ी एवं टीकमगढ़ जिलों के PMJDY खातों का द्वितीयक स्रोतों द्वारा अध्ययन एवं संपूर्ण भारत व राज्यों के खातों का द्वितीयक स्रोतों पर आधारित अध्ययन किया गया है ग्राफ्स एवं सारणी की सहायता से समंको को प्रदर्शित किया गया है तथा साथ में सांख्यिकीय विधियों का भी प्रयोग किया गया है।

सीमायें:- मध्यप्रदेश, उसके जिलों एवं राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है। निष्क्रिय खातों के कारणों को जानने एवं उनके निराकरण हेतु प्रायः द्वितीयक समंकों का अनुप्रयोग किया गया है।

विश्लेषण:- प्रधानमंत्री जन धन योजना को वित्तीय समावेशन की अब तक की सबसे बड़ी योजना के रूप में देखा गया है। इसके अनुक्रम पर नजर डालें तो पता चलता है कि सर्वप्रथम इस योजना ने 28 अगस्त, 2014 को पहले

दिन में ही लगभग 1.5 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोलकर विश्व रिकार्ड बनाया। द्वितीयक रूप में भारत में जितने भी बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउन्ट (BSBDA) खोले गये हैं उनका एक बड़ा भाग PMJDY खातों का है। तृतीयक रूप में 30 नवम्बर 2024 की रिपोर्ट देखें तो PMJDY के अन्तर्गत लगभग 55 प्रतिशत खाते महिलाओं के नाम हैं जो कि महिलाओं की निरंतर बढ़ रही भागीदारी को दर्शाता है।[8] यह भारत में अब तक महिलाओं के द्वारा खोले गये खातों की सर्वाधिक संख्या है। चतुर्थ रूप में PMJDY खातों में जितनी राशि जमा की गई वह 2 अगस्त, 2023 तक लगभग दो लाख करोड़ से अधिक हो चुकी थी।[9] 10 मार्च 2026 की स्थिति में भारत में PMJDY के कुल खाता धारकों की संख्या 57.78 करोड़ हो चुकी है। जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के खाता धारकों की संख्या का अनुपात 66:34 है एवं पुरुष और महिला खाता धारकों का अनुपात 45:55 है। इन खातों में अब तक जमा कुल राशि 2,94,701 करोड़ रुपये है। जबकि प्रत्येक खाते में औसतन जमा राशि 5,100 रुपये है। PMJDY के तहत जारी किये गये रुपये कार्ड की संख्या 40.08 करोड़ है। जो कुल PMJDY खातों का 69.37 प्रतिशत है। इस प्रकार यह योजना मील का पत्थर साबित हुई। किंतु संसद में राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर नजर डालें तो पता चलता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश में 20 नवम्बर, 2024 तक खोले गये कुल खाते 54.03 करोड़ थे। जिनमें से 11.30 करोड़ खाते निष्क्रिय थे। इन निष्क्रिय खातों में लगभग 14,750 करोड़ रुपये की राशि जमा थी एवं RBI के अनुसार यदि ग्राहक दो वर्ष तक खाते में कोई लेन-देन नहीं करता है तो उस खाते को निष्क्रिय माना जायेगा। दिसम्बर, 2025 की स्थिति में संसद में बताया गया कि 19 नवम्बर 2026 को कुल PMJDY खातों की संख्या 57.07 करोड़ थी। जिनमें निष्क्रिय खाते 15.09 करोड़ थे जो खोले गये कुल PMJDY खातों का लगभग 26 प्रतिशत है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि PMJDY के प्रत्येक चार खातों में से एक खाता निष्क्रिय है।

सारणी क्रमांक : 01

भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना के वर्ष वार सक्रिय, निष्क्रिय एवं कुल खाता धारक तथा उनकी निष्क्रियता का प्रतिशत

वर्ष	कुल PMJDY खातों की संख्या (करोड़ में)	सक्रिय PMJDY खातों की संख्या (करोड़ में)	निष्क्रिय PMJDY खातों की संख्या (करोड़ में)	निष्क्रिय PMJDY खातों का प्रतिशत
मार्च, 2020	38.33	31.10	7.22	18.85%
मार्च, 2021	42.20	36.26	5.94	14.08%

मार्च, 2022	45.06	38.49	6.58	14.59%
मार्च, 2023	48.65	39.20	9.45	19.43%
मार्च, 2024	51.95	41.74	10.21	19.66%
22 जनवरी, 2025	54.66	43.08	11.58	21.18%
8 दिसम्बर, 2025	57.07	41.98	15.09	26.44%

स्रोत: राज्य सभा व लोक सभा के प्रश्न-उत्तर -

https://sansad.in/getFile/annex/267/AU883_DOFaUl.pdf?source=pqars

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU1333_viWPuz.pdf?source=pqals

ग्राफ:- 01

राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के वर्ष वार खाता धारक और उनकी निष्क्रियता

(संख्या करोड़ में)

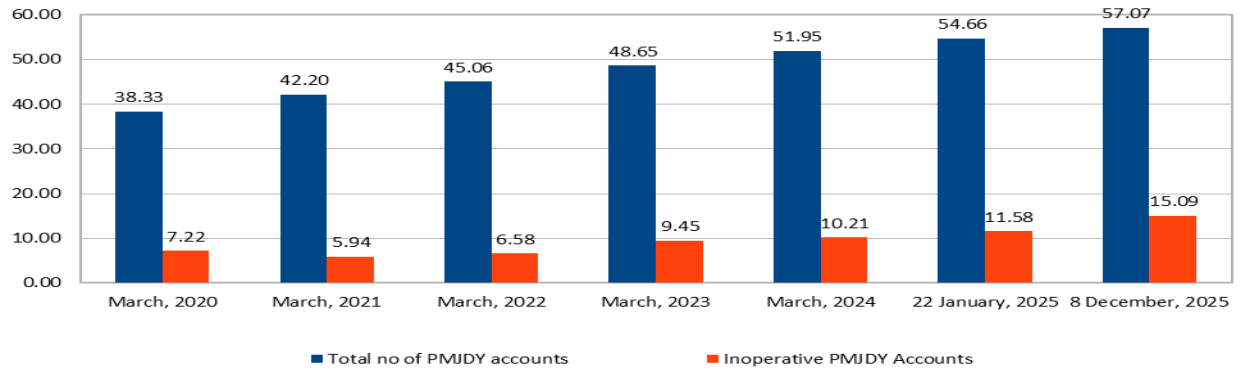

उपर्युक्त सारणी एवं ग्राफ्स पर नजर डालने पर पता चलता है कि सम्पूर्ण भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने खाता खोलने और बैंक डिपोजिट के मामले में महत्वपूर्ण वृद्धि की है किंतु यदि निष्क्रिय खातों की बात करें तो पता चलता है कि जिस उत्साह के साथ लोगों ने जन धन खाते खुलवाये उतना उत्साह खातों को सक्रिय रखने में नहीं दिखाया। सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के बावजूद भी लाभार्थियों के खातों में निरन्तर निष्क्रियता बढ़ती जा रही है। वर्ष 2020 से वर्ष 2021 के मध्य PMJDY के निष्क्रिय खातों में 1.28 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई थी। परन्तु 2022 से निष्क्रिय खातों की संख्या ने पुनः रफ्तार पकड़ी और वर्ष 2023 में 19.43 प्रतिशत, जनवरी 2025 में 21.18 प्रतिशत एवं दिसम्बर 2025 में 26.44 प्रतिशत तक पहुंच गई। जो चिंता का विषय बनी हुई है।

उपर्युक्त सारणी के वर्ष 2020 से वर्ष 2024 तक के आंकड़ों के माध्यम से कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का उपयोग कर PMJDY के कुल खाता धारकों और इसके निष्क्रिय खातों की संख्या के मध्य संबंध की दिशा एवं

तीव्रता को ज्ञात किया है जो इस प्रकार है- सबसे पहले PMJDY के तहत खोले गये खातों (X) का औसत 45.24 और इनमें से निष्क्रिय खातों (Y) का औसत 7.88 निकाला है कुल खातों और निष्क्रिय खातों के मानों से औसत घटाकर विचलन निकाला गया। इसके पश्चात विचलनों के गुणनफल और उनके वर्गों का योग किया है। अब इन सभी मानों को निम्न सूत्र में रखते हैं।

$$r = \frac{\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sqrt{\sum(x-\bar{x})^2 \sum(y-\bar{y})^2}}$$

इस प्रकार सहसंबंध गुणांक का मान r = 0.88 (लगभग) आया है। जो दोनों में उच्च धनात्मक सहसंबंध को दर्शाता है।

सारणी क्रमांक : 02

राष्ट्रीय स्तर पर PMJDY के तहत खोले गये कुल खाते, उनमें जमा राशि, जारी रूपे कार्ड्स की संख्या और रूपे कार्ड धारकों का प्रतिशत

वर्ष	कुल PMJDY खातों की संख्या (करोड़ में)	PMJDY खातों में कुल जमा राशि (करोड़ में)	PMJDY के कुल रूपे डेबिट कार्ड धारकों की संख्या	PMJDY के कुल रूपे डेबिट कार्ड धारकों का प्रतिशत
25 मार्च, 2015	14.54	14640.65	12.99	89.37%
30 मार्च, 2016	21.43	35672.01	17.75	82.85%
29 मार्च, 2017	28.17	62972.43	21.99	78.08%
28 मार्च, 2018	31.44	78493.99	23.65	75.22%
27 मार्च, 2019	35.27	96107.35	27.91	79.14%
25 मार्च, 2020	38.33	118434.41	29.30	76.46%
31 मार्च, 2021	42.20	145550.53	30.90	73.22%
30 मार्च, 2022	45.06	166459.16	31.62	70.17%
29 मार्च, 2023	48.65	198844.34	32.94	67.70%
27 मार्च, 2024	51.95	232502.22	35.35	68.05%

26 मार्च, 2025	55.18	260387.28	37.85	68.59%
18 मार्च, 2026	57.91	306399.87	40.22	69.44%

स्रोत: PMJDY की बेवसाईट - *Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana | Department of Financial Services | Ministry of Finance* [9]

ग्राफ : 02

राष्ट्रीय स्तर पर PMJDY के तहत खोले गये कुल खाते और जारी किये गये रूपे कार्ड्स की संख्या

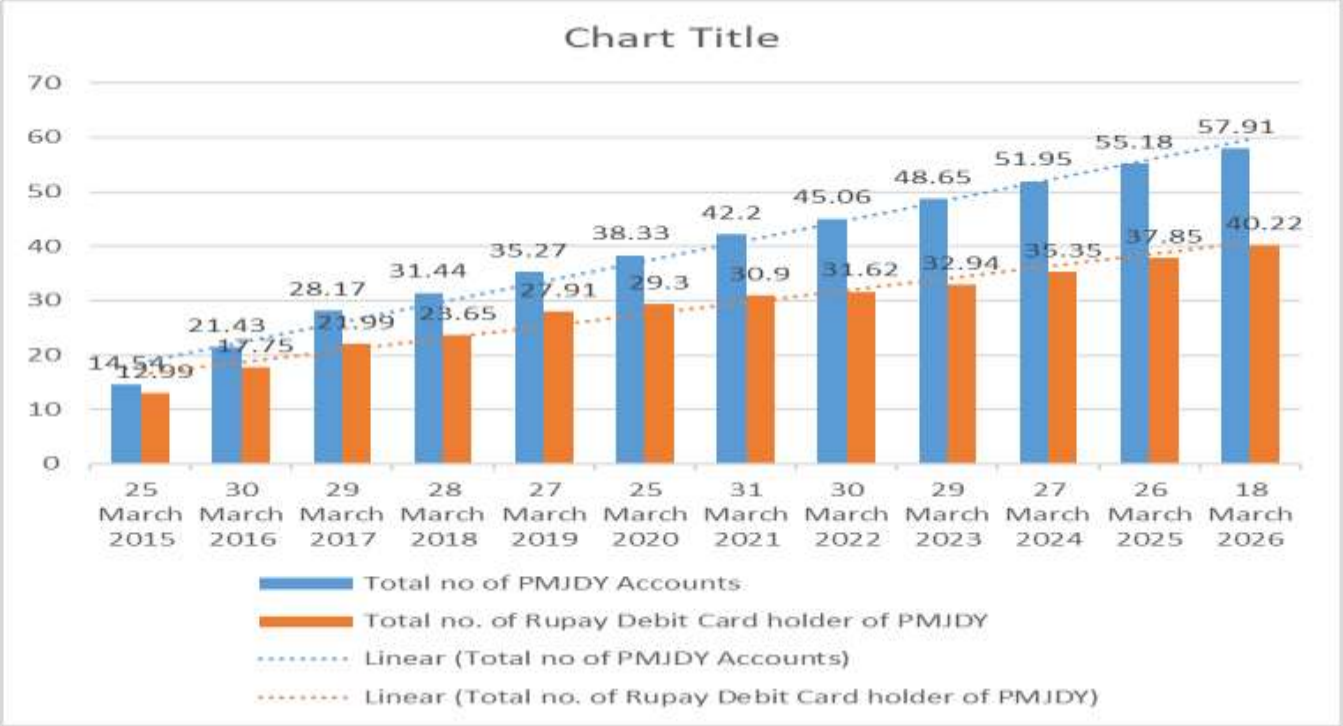

तत्पश्चात् विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाई गई उपर्युक्त सारणी क्रमांक 2 एवं ग्राफ क्रमांक 2 पर नजर डालें तो ज्ञात होता है कि PMJDY के खातों में हो रही वृद्धि के साथ-साथ रूपे डेबिट कार्ड धारकों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। किंतु डेबिट कार्ड धारकों के प्रतिशत में लगातार कमी देखी जा रही है।

अब यदि देश में मध्यप्रदेश राज्य की 20 नवम्बर 2024 की स्थिति पर ध्यान दिया जाये तो मध्यप्रदेश PMJDY खातों के मामले में चौथे स्थान पर है जबकि PMJDY के खातों की निष्क्रियता और उन निष्क्रिय खातों में जमा राशि के मामले में इस राज्य का उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के बाद तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य ने 963.95 लाख PMJDY खाते खोले जिनमें निष्क्रिय खातों की संख्या 234.72 लाख है। इन निष्क्रिय खातों में 2763.69 करोड़ रुपये भी जमा हैं जो कि प्रत्येक राज्य द्वारा खोले गये PMJDY के कुल खातों, निष्क्रिय खातों और उनमें जमा राशियों में सर्वाधिक हिस्सा रखता है। इसी क्रम में बिहार राज्य जिसके द्वारा 614.61 लाख PMJDY खाते खोले गये जिनमें

निष्क्रिय खातों की संख्या 119.98 लाख है। इन खातों में 2007.66 करोड़ रुपये जमा हैं। इस प्रकार बिहार राज्य दूसरे स्थान पर है। तत्पश्चात् PMJDY खातों की कुल संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल तीसरे व मध्यप्रदेश चौथे स्थान पर है जबकि कुल जमा राशि व निष्क्रिय खातों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश राज्य का तृतीय स्थान है इसमें PMJDY के 443.75 लाख खाते खेले गये जिनमें निष्क्रिय खातों की संख्या 92.15 लाख है। इन निष्क्रिय खातों में 1079.75 करोड़ रुपये जमा हैं। सभी राज्यो में सबसे कम निष्क्रिय खातों वाला राज्य लक्ष्यद्वीप है। यदि मध्यप्रदेश की 11 मार्च 2026 की स्थिति पर बात करें तो मध्यप्रदेश में कुल 4.66 करोड़ PMJDY खाता धारक हैं। इन खातों में 18,318 करोड़ रुपये जमा हैं। इन खाता धारकों में पुरूष एवं महिला का अनुपात 45ः55 है। राज्य में प्रति खाता औसत जमा राशि 3,931 रुपये है जिसमें मार्च 2015 की तुलना में 3485.5 रुपये की वृद्धि हुई है। राज्य में शून्य शेष खातों की संख्या मात्र 43 लाख रह गई है। किंतु निष्क्रिय खातों की संख्या फिर भी अधिक है और PMJDY खाता धारकों को जारी रूपे कार्ड की संख्या जो 25 मार्च 2015 को 1.05 करोड़ थी वह बढ़कर 11 मार्च 2026 को 3.47 करोड़ हो गई। किंतु रूपे कार्ड के इस आंकडे को प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इन आंकड़ो में 13.8 प्रतिशत की कमी हुई है।

अन्ततः मध्यप्रदेश राज्य, जिसके सभी जिलों में से सर्वाधिक PMJDY खातों वाला तथा सर्वाधिक शून्य शेष खातों वाला जिला सागर है जो 17.8 लाख PMJDY खाते खोल चुका है। इस जिले में शून्य शेष खातों की संख्या भी सर्वाधिक 1.9 लाख है। पीएमजेडवाई के सर्वाधिक जमा राशि वाले खातों के मामले में रीवा जिला 997.2 करोड़ रुपये रखकर प्रथम स्थान पर है। मध्यप्रदेश में PMJDY के तहत सर्वाधिक 14.7 लाख रूपे कार्ड जारी करने वाला जिला इन्दौर है। किंतु प्रत्येक क्षेत्र में सबसे कमजोर स्थिति निवाड़ी जिले की है। निवाड़ी एवं टीकमगढ़ जिलों पर दृष्टि डाली जाये तो जनगढ़ना 2011 के अनुसार जनसंख्या क्रमशः 4.05 लाख व 10.40 लाख है तथा इन जिलों में खोले गये कुल PMJDY खातों, उनमें जमा कुल राशि, महिला खाता धरकों की संख्या, शून्य शेष खाते, जारी किये गये रूपे कार्ड की संख्या व आधार से लिंक खातों की संख्या को निम्नानुसार प्रदर्शित किया जा रहा है-

सारणी क्रमांक : 03

विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त निवाड़ी एवं टीकमगढ़ जिले से सम्बंधित आंकड़ों का विवरण

वर्ष	जिले का नाम	कुल PMJDY खाते (लाख में)	PMJDY खातों में कुल जमा राशि (करोड़ रुपये में)	महिला PMJDY खाते (लाख में)	शून्य शेष खाते (लाख में)	जारी रुपे कार्ड (लाख में)	आधार सीडेड खाते (लाख में)
मार्च, 2022	निवाड़ी	1.54	38.51	-	-	-	-

मार्च, 2023	निवाड़ी	1.64	58.25	-	-	-	-
मार्च, 2024	निवाड़ी	1.83	63.77	-	-	-	-
31 मार्च, 2025	निवाड़ी	2.02	81.87	-	-	-	-
30 जून, 2025	निवाड़ी	2.03	80.28	1.14	0.23	0.87	1.86
30 नवम्बर, 2025	निवाड़ी	2.08	86.59	-	0.23	0.89	1.9
10 मार्च, 2026	निवाड़ी	2.10	89.90	-	0.2	0.9	1.9
मार्च, 2022	टीकमगढ़	6.15	154.02	-	-	-	-
मार्च, 2023	टीकमगढ़	6.47	174.00	-	-	-	-
मार्च, 2024	टीकमगढ़	6.80	238.53	-	-	-	-
31 मार्च, 2025	टीकमगढ़	7.26	293.39	-	-	-	-
30 जून, 2025	टीकमगढ़	7.31	282.81	3.87	0.62	4.38	6.4
30 नवम्बर, 2025	टीकमगढ़	7.45	316.00	-	0.65	4.46	6.55
10 मार्च, 2026	टीकमगढ़	7.50	325.90	-	0.7	4.5	6.6

स्रोत : SLBC Madhya Pradesh की Reports -

Final_Agenda_189-190_SLBC.pdf [12]

https://www.slbcmadhyapradesh.in/MIS/upload_doc/d22d1e41-4934-4de8-9868-eda8e23a546a-Final%20Agenda%20192-193%20SLBC.pdf?utm_source=chatgpt.com

4e4b0f0f-9c89-499d-b18e-df82ca0c4daf-Final Agenda 194 SLBC and Special SLBC Meeting.pdf

Agenda_195_And_196_SLBC_Meeting_11_12_2025.pdf

3ff77f19-d07c-414b-a920-411e365210d5-SLBC meeting Final Agenda_compressed.pdf

उपर्युक्त आंकड़ों से निवाड़ी व टीकमगढ़ जिलों की वर्ष वार प्रगति पर ध्यान केन्द्रित करने पर पाया गया कि निवाड़ी एवं टीकमगढ़ जिलों में भी PMJDY के कुल खोले गये खातों और उनमें जमा की जा रही राशि में निरन्तर वृद्धि हो रही है। किंतु शून्य शेष खातों की संख्या और निष्क्रिय खातों के मामले में (10 मार्च 2026 की स्थिति को छोड़कर) दोनों जिलों में कुछ वर्षों से निरन्तर वृद्धि देखी गयी है। यहां 10 मार्च 2026 की स्थिति LDM केवल निवाड़ी जिले में थोड़ा सुधार हुआ है किंतु यह काफी नहीं है। वहीं रूपे कार्ड की संख्या में भी बहुत कम वृद्धि दिखाई दे रही है। अतः इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है तथा निवाड़ी व टीकमगढ़ जिलों के स्कड को सुधार हेतु प्रयास करना चाहिये। 30 जून 2025 को निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले में महिला खाता धारकों की कुल संख्या **क्रमशः** 1.14 लाख तथा 3.87 लाख थी।

निष्कर्ष:-

1. बड़ी संख्या में लोगों के खाते खोले गये किंतु वे इनके लाभों से परिचित नहीं थे।
2. PMJDYउनके पास खाते संबंधी पासबुक या अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं रहे।
3. बचत करने की सुविधा न्यूनतम रही।
4. डीबीटी न होने के कारण सरकारी अनुदानों से वंचित थे।
5. कुछ खाता धारक स्वयं का जन धन खाता होने के बाद भी परिवार के किसी अन्य सदस्यों का खाता उपयोग करते थे।
6. PMJDY ओवरड्राफ्ट की सुविधा का कम होना भी निष्क्रियता का कारण है।
7. डेबिट कार्ड के परिचालन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में एटीएम सुविधायें कम होना।
8. लाभार्थियों को AEPS सुविधा द्वारा जमा व निकासी की पावती न देकर अंकों को बढ़ा या घटाकर हेर-फेर करने के कारण भी अशिक्षित लाभार्थियों का भरोसा कम होना।
9. PMJDY इन खाता धारकों को इस खाते के माध्यम से मिलने वाले छोटे ऋणों से संबंधित जानकारी न होना।
10. जिन आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के जन धन खाते हैं और वे किसी योजना हेतु पात्र नहीं हैं उनके खाते निष्क्रिय हो जाते हैं।
11. खाताधारक की मृत्यु उपरान्त उसके परिवार को उसके खातों की जानकारी न होना या जानकारी होने पर खातों को बंद करने याा उनका पैसा निकालने हेतु अधिक कागजी कार्यवाही से गुजरना पड़ता है और जिसकी लागत खातों मे जमा राशि से अधिक है।
12. बैंक/एटीएम/ बैंक मित्र का अधिक दूरी पर होना या खर्चीला होना।
13. डिजिटल साक्षरता का अभाव होना।
14. परिवार की आय कम होने पर किसी एक सदस्य के खाते का उपयोग करना जबकि अन्य खातों का उपयोग कम करना या अन्य खातों का निष्क्रिय रहना।

15. कभी कभी लाभार्थी द्वारा अपने खाते से राशि निकालते या जमा करते समय 24 या 48 घण्टा तक के लिये पेंडिंग में चला जाना। जिससे अधिकांश लोगों की आवश्यकता समय पर पूरी नहीं हुई। जो बैंकिंग सिस्टम के प्रति उदासीनता का कारण बन जाती है।

सुझाव:-

1. सरकार समय समय पर कुछ पैसा जन धन खातों में डाले जिससे खाता धारकों के खातों की निष्क्रियता कम हो।
2. खाता धारकों को उनके खाते की पासबुक अनिवार्यतः प्रदान की जाये।
3. बैंक कर्मचारियों को हिदायत दी जाये की वह अपने ग्राहकों से सम्पर्क कर उन्हें खाता संचालित कराने का प्रयास करें।
4. जन धन खाता धारकों के लिये मिलने वाले ब्याज की दर अधिक होनी चाहिये। (न्यूनतम 4 प्रतिशत)
5. LDM निवाड़ी एवं टीकमगढ़ के माध्यम से प्रयास किया जाना चाहिये कि वंचित जन का इस योजना के अंतर्गत खाता खोलें।
6. बैंक मित्रों का उत्तर दायित्व निर्धारित किया जाये कि उनके कार्य क्षेत्र के जन धन खातों की सक्रियता बनी रहे।
7. समय समय पर ग्राम स्तर पर बचत, उद्यम के बारे में जन धन खातों की उपयोगिता पर मुनादी या घोषणा कराई जाये तथा पंचायत स्तर पर मीटिंग की जाये।

संदर्भ सूची :-

1. Parliament of India, Rajya Sabha. (2024, December 10). *Status and effectiveness of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana Accounts (Unstarred Question No. 1682).* Ministry of Finance, Department of Financial Services. https://sansad.in/getFile/annex/266/AU1682_XwS1Wv.pdf?source=pqars
2. Parliament of India, Rajya Sabha. (2023, August 1). *PMJDY bank accounts (Unstarred Question No. 1361).* Ministry of Finance, Department of Financial Services. AU1361.pdf
3. Parliament of India, Rajya Sabha. (2024, December 17). *Inoperative accounts under PMJDY (Unstarred Question No. 2475).* Ministry of Finance, Department of Financial Services. https://sansad.in/getFile/annex/266/AU2475_2pVTvu.pdf?source=pqars
4. Tripathi, R., Yadav, N., & Shastri, R. K. (2016). *Financial inclusion in India through PMJDY: An empirical analysis*. Indian Journal of Finance. https://indianjournaloffinance.co.in/index.php/IJF/article/view/103014

5. Singh, A. P. (2019). *Enhancing financial inclusion through PMJDY: A review*. Think India Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3541912
6. Venumuddala, V. R. (2020). *Patterns in demand-side financial inclusion in India*. arXiv. https://arxiv.org/abs/2005.08961
7. Bagar, V. K., & Sijeriya, R. (2020). *A study of financial inclusion through PMJDY*. Journal of Commerce and Trade. https://www.jctindia.org/index.php/jct/article/view/a20-vkbrs
8. State Level Bankers' Committee, Madhya Pradesh. (2024, October 16). *Special SLBC agenda.* Central Bank of India. https://www.slbcmadhyapradesh.in/MIS/upload_doc/3dd7869c-4f7f-440e-b1d0-77be74add3e4-Special%20SLBC%20Agenda.pdf
9. Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana | Department of Financial Services | Ministry of Finance
10. Parliament of India, Rajya Sabha. (2025, February 11). *Bank accounts opened under Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (Unstarred Question No. 883).* Ministry of Finance, Department of Financial Services. https://sansad.in/getFile/annex/267/AU883_DOFaUl.pdf?source=pqars
11. Parliament of India, Lok Sabha. (2025, December 8). *Inoperative Jan Dhan Accounts (Unstarred Question No. 1333).* Ministry of Finance, Department of Financial Service. https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU1333_viWPuz.pdf?source=pqals
12. State Level Bankers' Committee Madhya Pradesh. (2024, July 11). *Final agenda 189–190 SLBC meeting* (p. 24). https://www.slbcmadhyapradesh.in/MIS/upload_doc/Final_Agenda_189-190_SLBC.pdf
13. State Level Bankers' Committee Madhya Pradesh. (2024, October 16). *Final agenda 192–193 SLBC meeting* (p. 25). https://www.slbcmadhyapradesh.in/MIS/upload_doc/d22d1e41-4934-4de8-9868-eda8e23a546a-Final%20Agenda%20192-193%20SLBC.pdf
14. State Level Bankers' Committee Madhya Pradesh. (2025, july 9). *Final agenda 194 SLBC and special meeting* (pp. 39, 54). https://slbcmadhyapradesh.in/MIS/upload_doc/4e4b0f0f-9c89-499d-b18e-df82ca0c4daf-Final%20Agenda%20194%20SLBC%20and%20%20Special%20SLBC%20Meeting.pdf

15. State Level Bankers' Committee, Madhya Pradesh. (2025, December 11). *Agenda for 195th and 196th SLBC meeting, Madhya Pradesh.* Central Bank of India. https://www.slbcmadhyapradesh.in/MIS/upload_doc/Agenda_195_And_196_SLBC_Meeting_11_12_2025.pdf

16. State Level Bankers' Committee Madhya Pradesh. (2026, March 25). *Agenda 197 SLBC meeting.* https://www.slbcmadhyapradesh.in/MIS/upload_doc/3ff77f19-d07c-414b-a920-411e365210d5-SLBC%20meeting%20Final%20Agenda_compressed.pdf